



**APPROVAL PROCESS 2024-25**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-43662520265/2024/EOA

Date of Approval: 30-May-2024

To,

The Secretary(Technical Education)  
 Govt. of Uttarakhand, Dehradun Sectt.,  
 4 Subhash Road, Dehradun-248001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2024-25**

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2024-25

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education), Powers delegated in AICTE ACT 1987, (No 52 of 1987) chapter II - u/s 2(g) to regulate Technical and subsequent Regulations of AICTE, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-3426958	Application Id	1-43662520265
Name of the Institution	TULAS INSTITUTE	Name of the Society/Trust	RISHABH EDUCATIONAL TRUST
Institution Address	MEHRE-KA-GAON PO-SELAQUI DHOOLKOT TEHSIL- VIKAS NAGAR DEHRADUN PIN CODE- 248197, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand, 248197	Society/Trust Address	TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN, Ut tarakhand, 248001
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	2006		

Opted for Introduction of New Program/Level	Yes	Introduction of Program/Level Approved or Not	Approved
---	-----	---	----------

**To conduct following Programs/Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2024-25**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2023-24	Intake Approved for 2024-25	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Board of Technical Examination, Uttarakhand	30	30	No	No
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	Board of Technical Examination, Uttarakhand	0	60##	No	No

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2023-24	Intake Approved for 2024-25	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	30	30	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	180	300	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Uttarakhand Technical University, Dehradun	0	60##	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)	Uttarakhand Technical University, Dehradun	0	60##	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	No	No
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Uttarakhand Technical University, Dehradun	90	90	No	No

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2023-24	Intake Approved for 2024-25	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
POST GRADUATE	COMPUTER APPLICATIONS	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	No	No
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	No	No
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	THERMAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	No	No
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	18	18	No	No

## Approved New Course(s)

**To conduct following Programs/Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2024-25**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2024-25	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
UNDER GRADUATE	MANAGEMENT	BBA	Sri Dev Suman Uttarakhand University	180	No	No
UNDER GRADUATE	COMPUTER APPLICATIONS	BCA	Sri Dev Suman Uttarakhand University	180	No	No

**The approval of BBA/BCA/BMS courses is on "as is where is basis" Intake Approved for BBA/BCA/BMS Course is Subject to the approval of the Concern University.**

All AICTE approved Institutions are empowered to nurture ecosystems for Skilling (through Vocational courses) via making effective use of existing infrastructure facilities and human resources.

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2024-25 to 2027 (Chapter-VI)**

## **Important Instructions**

1. As per mandatory Disclosure of APH 2024-27(Annexure-18, page180) Institutions must disclose the following information submitted to Council at the Prominent location on its website.
  - i. Department wise availability of Infrastructure along with approved courses and intake approved by the Council.
  - ii. Faculty details: Department wise: Name& Designation of the faculty members/teaching staff along with their qualification, tenure of service in your organization, total experience, Institution should also disclose Student Faculty Ratio, Cadre Ratio.
  - iii. Additionally Audited Financial Statements for last 3 Financial years.
2. Reservation Policy of the Central Government (Including EWS) / Respective State Government/ UT as the case shall be applicable to all the Programmes. The concerned State Government/ UT Admission authority shall decide Modalities of Admission.
3. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2024-25 to 2027 for the Total Approved Intake.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the **Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.**
5. All AICTE institutions are highly encouraged to get NBA/NAAC accreditation. All eligible AICTE institutions are thoroughly encouraged to participate in NIRF ranking process.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.
7. AICTE Approved Institutes are encouraged to utilize SWAYAM PLUS Courses up-to 40%
8. Internship is mandatory for all admitted students.
9. AICTE Approved Institutes are encouraged to make efficient use of the flagship schemes like:
  - a. Parakh: Student Gap analysis portal bases services.
  - b. Students Scholarship schemes like Pragati, Saksham, Swanath, ADF, etc.
  - c. Course in Indian Languages.
  - d. ATAL FDPs: Faculty training for Emerging areas and cutting edge Technologies.
  - e. Augmenting Utilization of Research Assets (AURA).
  - f. Smart India Hackathon: World's largest Open Innovation Platform.

**Prof.Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education\*\*, Uttarakhand**
2. **The Registrar\*\*,  
Uttarakhand Technical University, Dehradun**
3. **The Principal / Director,  
TULAS INSTITUTE  
Mehre-Ka-Gaon**

Po-Selaqui  
Dhoolkot  
Tehsil- Vikas Nagar  
Dehradun  
Pin Code- 248197,  
Dehradun,Dehradun,  
Uttarakhand,248197

4. **The Secretary / Chairman,**  
TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD  
DEHRADUN,DEHRADUN  
Uttarakhand,248001

5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*



**APPROVAL PROCESS 2023-24**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-38679812307/2023/EOA

Date: 02-Jun-2023

To,

The Secretary(Technical Education)  
 Govt. of Uttarakhand, Dehradun Sectt.,  
 4 Subhash Road, Dehradun-248001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24**

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-3426958	Application Id	1-38679812307
Name of the Institution	TULAS INSTITUTE	Name of the Society/Trust	RISHABH EDUCATIONAL TRUST
Institution Address	MEHRE-KA-GAON PO-SELAQUI DHOOALKOT TEHSIL- VIKAS NAGAR DEHRADUN PIN CODE- 248197, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand, 248197	Society/Trust Address	TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN, Ut tarakhand, 248001
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	2006		

**To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Board of Technical Examination, Uttarakhand	30	30	NA	NA
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	30	30	NA	NA

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	180	180	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)	Uttarakhand Technical University, Dehradun	0	60##	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	30	NA	NA
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	90	NA	NA
POST GRADUATE	COMPUTER APPLICATIONS	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	60	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	THERMAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	18	18	NA	NA

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
## Approved New Course(s)							

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 6)**

### **Important Instructions**

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereto, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NBA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

**Prof.Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education\*\*, Uttarakhand**
2. **The Registrar\*\*,**  
Uttarakhand Technical University, Dehradun

**3. The Principal / Director,**

TULAS INSTITUTE

Mehre-Ka-Gaon

Po-Selaqui

Dhootkot

Tehsil- Vikas Nagar

Dehradun

Pin Code- 248197,

Dehradun,Dehradun,

Uttarakhand,248197

**4. The Secretary / Chairman,**

TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD

DEHRADUN,DEHRADUN

Uttarakhand,248001

**5. Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

---

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*



**APPROVAL PROCESS 2022-23**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-10973437622/2022/EOA

Date: 03-Jul-2022

To,

The Secretary(Technical Education)  
 Govt. of Uttarakhand, Dehradun Sectt.,  
 4 Subhash Road, Dehradun-248001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2022-23**

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2022 Notified on 4th February, 2022 and amended on 24th February 2022 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-3426958	Application Id	1-10973437622
Name of the Institution	TULAS INSTITUTE	Name of the Society/Trust	RISHABH EDUCATIONAL TRUST
Institution Address	MEHRE-KA-GAON PO-SELAQUI DHOOALKOT TEHSIL- VIKAS NAGAR DEHRADUN PIN CODE- 248197, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand, 248197	Society/Trust Address	TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN, Ut tarakhand, 248001
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	2006		

**To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Board of Technical Examination, Uttarakhand	30	30	NA	NA
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	NA

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	180	180	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	NA
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Uttarakhand Technical University, Dehradun	60	60	NA	NA
POST GRADUATE	MCA	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Uttarakhand Technical University, Dehradun	30	30	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	THERMAL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	6	6	NA	NA
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttarakhand Technical University, Dehradun	18	18	NA	NA

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2022-23 (Appendix 6)**

### **Important Instructions**

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC (NCL)/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities **WITHIN 2 YEARS** to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE beginning with the Academic Year 2022-23
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as Approval Process Handbook and provisions made in AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

**Pharmacy Institute:** In compliance with the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy Programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per the respective regulatory body (PCI).

In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by PCI, the approval of PCI shall prevail.

**Architecture Institute:** In compliance with the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of Indian CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per respective regulatory body (CoA). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by CoA, the approval of CoA shall prevail.

**Deemed to be University:** Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

**Prof.Rajive Kumar  
Member Secretary, AICTE**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education\*\*, Uttarakhand**
2. **The Registrar\*\*,  
Uttarakhand Technical University, Dehradun**
3. **The Principal / Director,  
TULAS INSTITUTE  
Mehre-Ka-Gaon  
Po-Selaqui  
Dhoolkot  
Tehsil- Vikas Nagar  
Dehradun  
Pin Code- 248197,  
Dehradun,Dehradun,  
Uttarakhand,248197**

4. **The Secretary / Chairman,**  
TULA'S PALACE, HARIDWAR ROAD  
DEHRADUN,DEHRADUN  
Uttarakhand,248001
5. **The Regional Officer,**  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

---

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*



# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

## Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक: 1790 / सम्बद्धता / 2024

दिनांक: 31.08.2024

सेवा में,

✓ निदेशक,

तुलाज इंस्टीट्यूट,

ग्राम-धूलकोट, तहसील-विकासनगर,

चकराता रोड, देहरादून।

विषय:—विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तुलाज इंस्टीट्यूट, ग्राम-धूलकोट, तहसील-विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून नामक संस्थान को बी0टैक0, एम0टैक0, एम0सी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तुलाज इंस्टीट्यूट, ग्राम-धूलकोट, तहसील-विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 का सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है। उपरोक्त सम्बद्ध संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश एवं विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय द्वारा विषयांकित संस्थान को सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है, जो कि निम्नवत शर्तों के अधीन है:-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रमों का नाम	शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश क्षमता (सीट)
तुलाज इंस्टीट्यूट, ग्राम-धूलकोट, तहसील-विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून	B.Tech- Civil Engg.	30
	Computer Sciences & Engg.	180
	Electrical and Electronics Engg	30
	Electronics and Comm. Engg.	30
	Mechanical Engg.	30
	Computer Sciences & Engg. (Data Science-New Course)	60
	M.Tech- Civil Engg.	18
	Computer Sciences & Engg.	06
	Thermal Engg.	06
	MBA	90
	MCA	60

- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के साथ-साथ संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में संस्थान की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियमक संस्थान/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियमक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्थान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

6. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंसी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
8. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोई संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
9. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/ शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अहं फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। यदि संस्थान में मानकानुसार अहं फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाईट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकॉपी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाईट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी।
12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेतर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
13. यदि भविष्य में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध कोई भी शिकायत अथवा ऐसा प्रकरण विश्वविद्यालय के प्रकाश में लाया जाता है, तो सम्बन्धित संस्थान की नियमानुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह संस्थान को मान्य होगा और तदनुसार संस्थान द्वारा प्राभूति राशि की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।  
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

  
(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)

कुलसचिव

#### प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मा० कुलाधिपति महोदय, राजभवन उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा० कुलपति को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)  
कुलसचिव



## उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट—के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी – 247 667  
दूरभाष : 01332–266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,  
तुलाज् इंस्टीट्यूट, पो०—सेलाकी, धूलकोट,  
देहरादून।

संस्था कोड – 113

पत्र संख्या : 3021 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2024–25      दिनांक : 19.06.2024

विषय:— डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं0 FNo. Northern /1-43662520265/2024/EOA दिनांक 30 मई 2024 के क्रम में आपके संस्थान को निम्न तालिका में अंकित पाठ्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2024–25 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)
Mechanical Engineering	Diploma	30	1st	03 years
Civil Engineering	Diploma	30	1st	03 years
Computer science & Engineering	Diploma	60	1 <sup>st</sup>	03 years


शर्तें :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- AICTE परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् /ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
- प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) पर उपलब्ध है।
- प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
- AICTE मानकों के अनुसार संस्थान को “Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions” का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
- संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
- यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही संचालित किए जायेंगे।
- संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेंगी।

12. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
13. टी0एफ0डब्ल्यू0 के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आंवित होगी उनसे द्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
14. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स-2024 के अन्तर्गत आयोजित कांउसिलिंग के माध्यम से आंवित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
15. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
16. संस्था द्वारा छात्रों के शिक्षण-प्रशिक्षण को उच्चतम स्तर पर पूर्ण कराना एवं ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा दिए गए मानकों को पूर्ण करना संस्था का उत्तरदायित्व है।
17. राज्य के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संस्थान में एण्टी ड्रग कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा और नियमित अन्तराल पर परामर्श सत्र (counselling sessions) आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
18. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
19. संस्थान् द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए.आई.सी.टी.ई द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक मानक/मापदण्ड का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा तथा किसी भी अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को संस्थान् द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया है। तदपि यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी प्रवेश पा जाता है तो उसका किसी भी स्तर पर प्रवेश/अभ्यर्थन निरस्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान् की होगी।
20. सम्बद्धता विस्तार संस्थान को इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि परिषद द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षणोपरान्त सभी व्यवस्थाएं ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के अनुरूप पाए जाने के उपरान्त ही मान्य होगा। यदि निरीक्षण समिति द्वारा कोई कमी इंगित की जाती है तो शीघ्र-अतिशीघ्र निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए समय के अनुसार कमी पूर्ण करनी होगी।
21. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रु0 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मसी के लिए रु0 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

  
 (डा० राजेश उपाध्याय)  
 सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।

  
 (डा० राजेश उपाध्याय)  
 सचिव



## उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी -247 667  
दूरभाष : 01332-266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,  
तुलाज इंस्टीट्यूट, पो-सेलाकी, धूलकोट,  
देहरादून।

संस्था कोड - 113

पत्र संख्या : 1783 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2023-24

दिनांक : 04.07.2023

**विषय:-** डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं0 FNo. Northern /I-38679812307/2023/EOA दिनांक 02 जून 2023 के क्रम में आपके संस्थान को निम्न तालिका में अंकित पाठ्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2023-24 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)
Mechanical Engineering	Diploma	30	1st	03 years
Civil Engineering	Diploma	30	1st	03 years

शर्तें :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थानों में इंटरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- AICTE परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् /ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
- प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) पर उपलब्ध है।
- प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
- AICTE मानकों के अनुसार संस्थान को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
- संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
- यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही संचालित किए जायेंगे।
- संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेंगी।
- यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।

13. टी०एफ०डल्लर० के अन्तर्गत जिन छात्रों को रीट आवंटित होगी उनसे दृगुणन फीस नहीं ली जायेगी।
14. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स-2023 के अन्तर्गत आयोजित कांसिराइलिंग के मौजूदग से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
15. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा रामय-रामय पर जारी निर्देशों का संरक्षण द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
16. संस्था द्वारा छात्रों के शिक्षण-प्रशिक्षण को उच्चतम स्तर पर पूर्ण करना एवं एआई.सी.टी.ई द्वारा दिए गए मानकों को पूर्ण करना संस्था का उत्तरदायित्व है।
17. राज्य के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संरक्षण में एष्टी ड्रग कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा और नियमित अन्तराल पर परामर्श रात्रि (counselling sessions) आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस रामबंध में रामय-रामय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
18. कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
19. संरक्षण परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन राम्पन्न कराएगा।
20. संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु एआई.सी.टी.ई द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक मानक/मापदण्ड का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा तथा किसी भी अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को संरक्षण द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया है। तदपि यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी प्रवेश पा जाता है तो उसका किसी भी स्तर पर प्रवेश/अभ्यर्थन निररत करने की पूर्ण जिम्मेदारी संरक्षण की होगी।
21. सम्बद्धता विस्तार संस्थान को इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि परिषद् द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षणोपरान्त सभी व्यवस्थाएं एआई.सी.टी.ई. मानकों के अनुरूप पाए जाने के उपरान्त ही मान्य होगा। यदि निरीक्षण समिति द्वारा कोई कमी इगत की जाती है तो शीघ्र-अतिशीघ्र निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए समय के अनुसार कमी पूर्ण करनी होगी।
22. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिस्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रु० 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिस्लोमा फार्मसी के लिए रु० 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।


भवदीय

  
(डा० राजेश उपाध्याय)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
- 2- परीक्षा नियंत्रक, परिषद्।
3. संयुक्त सचिव, आई०आर०डी०टी०, अपर आमवाला, देहरादून।

  
(डा० राजेश उपाध्याय)  
सचिव



# उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट—के. एल. पालीटैकिन छात्रावास), काशीपुरी – 247 667  
दूरभाष : 01332–266370, 266371 फैक्स 266349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,  
तुलाज इंस्टीट्यूट, पो०—सेलाकी, घूलकोट,  
देहरादून।

संस्था कोड – 113

पत्र संख्या : 1009–1077 / उ.प्रा.शि.प. / ए.आई.सी.टी.ई. / सम्ब. / 2021–22      दिनांक : 25–08–2021

**विषय:-** डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /I-9322699936/2021/EOA दिनांक 25 जून 2021 के क्रम में आपके संस्थान को निम्न तालिका में अंकित पाठ्यक्रम हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2021–22 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Mechanical Engineering	Diploma	30	1st	03 years	2021-22
Civil Engineering	Diploma	30	1st	03 years	2021-22

**शर्तेः—**

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थानों में इंटरनेट की सुचारू व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन—पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
- सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन—पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे— Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
- संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
- AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।

9. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) पर उपलब्ध है।
10. प्रत्येक संस्थान् को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान् के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
11. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान् को “Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions” का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
12. संस्थान द्वारा ए०आ॒ई०सी०टी०ई० / पी०सी०आ॒ई०(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
13. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए०आ॒ई०सी०टी०ई० / पी०सी०आ॒ई०(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे। ए.आ॒ई.सी.टी.ई. / पी.सी.आ॒ई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही संचालित किए जायेंगे।
15. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
16. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए०आ॒ई०सी०टी०ई० / पी०सी०आ॒ई०(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
17. टी०एफ०डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आंवटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
18. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स-2021 के अन्तर्गत आयोजित कांउसिंलिंग के माध्यम से आंवटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
19. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
20. संस्था द्वारा छात्रों के शिक्षण-प्रशिक्षण को उच्चतम स्तर पर पूर्ण कराना एवं ए.आ॒ई.सी.टी.ई. / पी.सी.आ॒ई. द्वारा दिए गए मानकों को पूर्ण करना संस्था का उत्तरदायित्व है।
21. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी SOP एवं शासनादेशों में अंकित निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
22. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
23. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363 / XXIV(8) / 2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600 / XXIV(8) / 2010-51 / 2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ₹ 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मसी के लिए ₹ 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

24. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(देश राज)  
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
- 2- परीक्षा नियंत्रक, परिषद्।
3. संयुक्त सचिव, आईटीआरटीडीटी, अपर आमवाला, देहरादून।

(देश राज)  
सचिव



**श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय**  
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४६१६६  
**Sri Dev Suman Uttarakhand University**  
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

Website-<http://www.sdsuv.ac.in>

Affiliation:- sdsuvamsuk@gmail.com

पत्रांक:- ९१५२ / SDSUV/Affi./2023-24

दिनांक : २०/०१/२०२४

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि तुलाज इंस्टीट्यूट, धूलकोट, देहरादून संरथान इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संरथान है। संरथान की वी०एससी० (ऑनर्स) कृषि- 120 सीट, वी०वी०ए० - 180 सीट, वी०सी०ए०- 180 सीट, वी०ए० (ऑनर्स) जनलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन- 60 सीट एवं वी०कॉम० (ऑनर्स)- 60 सीट पाठ्यक्रमों की सत्र 2023-24 की अस्थायी सम्बद्धता विरतारण पत्रावली निरीक्षणोपरांत विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। संरथान का उक्त सम्बद्धता प्रस्ताव प्राप्त है।

(के० आर० भट्ट),  
कुलसचिव।

✓प्रतिलिपि: प्राचार्य/निदेशक, तुलाज इंस्टीट्यूट, धूलकोट, देहरादून।

(के० आर० भट्ट),  
कुलसचिव।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय  
बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल।